नवीन गौशालाओं के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित

अभिव्यक्ति की अभिरुचि

दमोह जिले अंतर्गत लगभग 10,000 आवारा गौवंश के पालन–पोषण एवं संवर्धन हेतु पब्लिक प्राईवेट पार्टनरसिप (पी.पी.पी.) मोड में गौशालाएँ स्थापित की जाना है। गौशालाओं में कम से कम 1000 या अधिक गौवंश का पालन पोषण एवं संवर्धन किया जाना आवश्यक होगा। इस प्रयोजन हेतु चिन्हित स्थानों के संबंध में उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग से जानकारी ली जा सकती है। चिन्हित स्थान पर शासकीय भूमि, भवन (शैड) एवं पानी की उपलब्धता, रहेगी जो स्थान अनुसार अलग–अलग हो सकती है। स्थापित की जाने वाली गौशाला में गौवंश के संवर्धन के साथ–साथ निकलने वाले बेस्ट (गोबर, पेशाब इत्यादि) का प्रबंधन, पशुओं की मृत्यु उपरांत जैविक बेस्ट (खाल हड्डी इत्यादि) के प्रबंधन की व्यवस्था के लिये तीन वर्ष की कार्ययोजना (एस.ओ.पी.) न लाभ न हानि आधार पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे आमदनी के स्त्रोत विकसित करने होंगें। पी.पी.पी. मोड की समस्त शर्तो के संबंध में जानकारी उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग के कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति/संस्थाओं से अभिव्यक्ति की अभिरुचि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएँ अपने प्रस्ताव संपूर्ण जानकारी सहित उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग दमोह को निर्धारित समय–सीमा में जमा करें।

दिनांक– 30/01/2019

उपसंचालक
पशु चिकित्सा सेवायें दमोह (म.प्र.)